

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937

No. 2463]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

का.आ. 3115(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53च के साथ पठित धारा 53ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव खेर को 28 सितंबर, 2015 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पूर्वोक्त हो, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 9/1/2015-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

S.O. 3115(E).— In exercise of the powers conferred by section 53C read with section 53F of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Rajeev Kher, as Member of the Competition Appellate Tribunal with effect from the 28th September, 2015 (Forenoon) for a period of five years or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of his service shall be governed by the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2009.

[F. No.9/1/2015-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

4852 GI/2015